A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 105/2017
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

बलतेजसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, जटसिख, चक 3 एल. एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर ...**वादी**

बनाम

1. दयालसिंह आत्मज श्री पालासिंह, जटसिख, चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. गुरतेजसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, जटसिख, चक 3 एल. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1–2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–3)

दिनांक 01 फरवरी, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 1.866 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से वादी के पिता (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम पर दर्ज है. जो वादी परिवार की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी, प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. इस प्रकार वर्णित कृषि भूमि वादी परिवार की पैतृक सम्पत्ति है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के साथ घरू बंटवारा किया गया जिसके अनुसार किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर वादी को एवं किला नम्बर 14 एवं 15 कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को दी गयी जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 के कहे अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय कर प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी गयी. वादी अपने हिस्सा के 0. 506 हैक्टर कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि जब भी वादी चाहेगा, सहमति से बंटवारा कर वादी के नाम पर दर्ज करवा दी जायेगी. जिस पर वादी द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर मेहनत कर सुधार कार्य किये गये हैं. कुछ दिवस पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के कथन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हुए दिनांक 10 जनवरी, 2018 को वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

A2/3

नाम पर दर्ज करवाने से इन्कार हो गया जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उसका पैतृक अधिकार व न्याय से वंचित करना चाहता है. यही वाद हेतुक उपलब्ध है. ऐसी स्थिति में, वादी वर्णित पैतृक सम्पत्ति में से अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश वादी को उसका पैतृक हिस्सा देना नही चाहता. यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादी अपने पैतृक अधिकारों से वंचित होगा तथा वादबाहुल्यता बढेगी. इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार वादी द्वारा चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि के लिये खातेदारी घोषित कर पृथक से लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 एवं नामान्तरकरण संख्या 140 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 19 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7077 8924 6719, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5963 2534 9424 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9833 5489 6277 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 23 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/4

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 140 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि उनके पिता श्री पालासिंह की मृत्योपरान्त दर्ज की गयी कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राजीनामा दिनांक 19 जनवरी, 2018 के अनुरूप वादी श्री बलतेजसिंह चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल प्राप्त करने का अधिकारी है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19 जनवरी, 2018 के अनुरूप वादी श्री बलतेजसिंह को चक चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले लोक अदालत न्यायालय में आज दिनांक 01 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर